भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 374

(जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2018/17 माघ, 1939 (शक) को दिया जाना है)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों की घरेलू और विदेशी शाखाओं को युक्तिसंगत बनाया जाना

374. श्री अमर सिंह:
श्री आर. वैद्यलिंगम:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने घरेलू तथा विदेशी शाखाओं को युक्तिसंगत बनाए जाने पर गौर करने हेतु कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त निदेश के परिणामस्वरूप प्रत्येक बैंक द्वारा कितनी शाखाओं को बंद कर दिया गया है; और

(ग) प्रत्येक बैंक द्वारा कितने व्यक्तियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने हेतु बाध्य किया गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) और (ख): सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के वरिष्ठ प्रबंधन तथा पूर्णकालिक निदेशकों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर एक सुधार एजेंडा हाल ही में सरकार द्वारा पीएसबी के बैंक बोर्ड के अनुमोदनानुसार यथोचित कार्रवाई हेतु संदर्भित किया गया है। इस एजेंडा में अन्य बातों के अलावा, विदेश में प्रचालनों को युक्तियुक्त करने तथा बैक के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को प्राप्त करने हेतु एक अलग बैंकिंग रणनीति जिसमें मजबूत क्षेत्रीय सम्पर्क हेतु शाखा नेटवर्क को युक्तियुक्त करना शामिल है, को कवर किया गया है। इस सुधार एजेंडा के अनुसरण में किसी भी शाखा को बंद नहीं किया गया है।

(ग): स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं कर्मचारियों द्वारा स्वेच्छा से उक्त विकल्प के चयन के आधार पर प्रचलित होती हैं, न कि मजबूर किए जाने के परिणामस्वरूप।

*****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 377

मंगलवार, 06 फरवरी, 2018/17 माघ, 1939 (शक)

अंशदायी पेंशन प्रणाली को समाप्त किया जाना

377. श्री धर्मपुरी श्रीनिवास:

श्री टी.जी. वेंकटेश:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) क्या यह सच है कि सरकार ने अंशदायी पेंशन प्रणाली को समाप्त किए जाने की बात को स्पष्ट करते हुए इस कार्य की जिम्मेवारी राज्यों को प्रत्यायोजित कर दी है;

(**ख**) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(**ग**) क्या राज्य सरकारें अंशदायी पेंशन प्रणाली की समाप्ति की प्रक्रिया आरंभ करने हेतु आगे आई हैं;

(**घ**) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(**ङ**) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. राधाकृष्णन)

(क) से (ङ): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 564

बुधवार, 7 फरवरी, 2018/ 18 माघ, 1939 (शक)

सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से शिकायतों के निवारण हेतु दिशानिर्देश

564. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने ट्विटर तथा फेसबुक के माध्यम से संचार संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कोई संरचित दिशानिर्देश तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) 2014-2017 के दौरान ट्विटर के माध्यम से कुल कितनी शिकायतें की गई और इन शिकायतों की सामान्य प्रकृति क्या रही है; और

(ग) इस कार्य के लिए तैयार की गई मानवीय अवसंरचना तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) मंत्रालय में मीडिया प्रचार से संबंधित गतिविधियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही की जाती हैं। मंत्रालय ने कोई स्वतंत्र/ अलग संरचनात्मक दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए हैं।

(ख) 2014 से 2017 के दौरान ट्विटर तथा फेसबुक के माध्यम से उठाई गई 2926 शिकायतों का निपटारा किया गया है। इन शिकायतों की सामान्य प्रकृति पीएफ संबंधी प्रश्नों, ईएसआईसी लाभों से संबंधित प्रश्नों, नौकरियों, वेतनों, न्यनूतम वेतन तथा असंगठित क्षेत्र से सबंधित प्रश्नों के संबंध में है।

(ग) मुख्यत: मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/संगठनों के नोडल अधिकारियों से बने सोशल मीडिया दल ने अपेक्षित अवसंरचना, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की सहायता से 18.07.2016 से एक वर्ष के लिए बीईसीआईएल (सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम) के माध्यम से नियोजित व्यावसायियों की तकनीकी सहायता से मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों को संभाला है।

****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 578

बुधवार, 07 फरवरी, 2018 / 18 माघ, 1939 (शक)

पूर्व श्रमिकों या कर्मचारियों हेतु न्यूनतम पेंशन

578. श्री सी.पी. नारायणन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पूर्व-श्रमिक या कर्मचारी सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;
(ख) क्या उन्हें कोई न्यूनतम पेंशन उपलब्ध कराई जाती है, यदि हां, तो यह पेंशन कितनी है; और
(ग) क्या सरकार की पूर्व श्रमिकों या कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करने की कोई योजना है जो जीवन यापन लागत संबंधी वर्तमान सूचकांक के अनुपात में होगी?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत सदस्य पेंशनधारकों की कुल संख्या इस प्रकार थी:

वर्ष	**सदस्य पेंशनधारक**
2014-15	3566857
2015-16	3783251
2016-17 (अनंतिम)	3875335

(ख) केन्द्र सरकार ने दिनांक 19.08.2014 की राजपत्र अधिसूचना सं. 593(ड.) जारी की है जिसमें ईपीएस, 1995 के अंतर्गत सितम्बर, 2014 से प्रभावी 1,000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है।

(ग) जी, नहीं।

*****

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं 751
(बृहस्पतिवार, 08.02.2018 को उत्तर देने के लिए)

पेंशन खातों को आधार से जोड़ा जाना

751. श्री कपिल सिब्बलः
क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार पेंशन संबंधी आंकड़े रखती है और यदि हां, तो पेंशन खातों की कुल संख्या सहित विमुद्रीकरण के पश्चात् अब तक आधार से जोड़े गए पेंशन खातों/पेंशन भोगियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि 39 प्रतिशत पेंशनभोगी अपनी पेंशन नहीं ले पाए हैं क्योंकि उनके खाते 'पैन' तथा 'आधार' से नहीं जुड़ पाए हैं; और

(ग) पेंशनभोगियों की सुविधा के लिए स्थापित किए गए आधार केन्द्रों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री
(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1360

बुधवार, 7 मार्च, 2018/16 फाल्गुन, 1939 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में किए गए संशोधन

1360. श्री के. सोमप्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कौन-कौन से परिवर्तन या संशोधन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किसी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्य द्वारा पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा हाल ही में कौन-कौन सी शर्तें शामिल की गई हैं; और

(घ) क्या रिटर्न ऑफ कैपिटल संभव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, जिसमें भविष्य निधि, पेंशन निधि और जमा संबद्ध बीमा निधि की संस्थापनाओं करने का प्रावधान है, और यह उन संस्थापनाओं पर लागू है, जो अनुसूची-I में सूचीबद्ध उद्योगों और संस्थापनाओं की श्रेणी से संबंधित हैं, जिनमें 20 या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत तीन स्कीमें बनाई गई हैं, जिनमें (क) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) स्कीम, 1952; (ख) कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस), 1995; और (ग) कर्मचारी जमा संबद्ध बीमा (ईडीएलआई) योजना, 1976 शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2015, 2016 एवं 2017 के दौरान उपर्युक्त तीन स्कीमों में जो परिवर्तन या संशोधन किए गए हैं, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्न शामिल हैं:-

- ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई के अंतर्गत दावों का निपटान तीस दिन के बदले इनकी प्राप्ति की तारीख से बीस दिन के अंदर करना;
- मृत्यु की स्थिति में ईडीएलआई योजना, 1976 के अधीन अधिकतम बीमा लाभ को 3.60 लाख रुपये से बढ़ाकर 6.00 लाख रुपये करना;

जारी/-

- उस सदस्य की मृत्यु के संबंध में पेंशन निधि की देयता को सीमित करना, जिसका अंशदान 36 महीने की अवधि के लिए प्राप्त नहीं हुआ है;
- ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 72(6) में संशोधन जहां पर शर्तों में परिवर्तन किया गया है, जिसके कारण भविष्य निधि खाता अप्रवर्तनशील हो गया है;
- 'कर्मचारी' नामांकन अभियान, 2017 का शुभारंभ;
- स्कीमों के अंतर्गत नियोक्ताओं से अंशदान प्राप्त करने के लिए निजी बैंकों को अनुमति देने का प्रावधान;
- ईपीएफ स्कीम, 1952 के अंतर्गत मजदूरी आदि के प्रशासनिक प्रभारों को 0.85 % से कम करके 0.65% करना।

(ग): 01.09.2014 के बाद नए कर्मचारियों के मामले में ईपीएफ की सदस्यता लागू की गई है, जहां पर वेतन केवल 15,000/- रुपये से कम या इसके बराबर हैं। जो मौजूदा सदस्य 01.09.2017 को उच्चतर मजदूरी दर पेंशन निधि में अंशदान कर रहे हैं उन्हें 01.09.2014 के बाद उच्चतर मजदूरी पर अंशदान करने का विकल्प रहेगा बशर्ते कि वे अतिरिक्त अंशदान के रुप में 15,000/- रुपये से अधिक वेतन पर 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान करें। नए विकल्प का उपयोग 1 सितम्बर, 2014 से 06 महीने की अवधि के अंदर किया जाना था, जिसे अधिकतम छः महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

01.09.2014 से पेंशन योग्य वेतन, पेंशन निधि की सदस्यता छोड़ने की तारीख से पूर्व 12 महीने के स्थान पर साठ महीने का औसत मासिक वेतन होगा।

(घ): रिटर्न ऑफ कैपिटल का प्रावधान 26.09.2008 से ईपीएस, 1995 से हटा दिया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1363

बुधवार, 7 मार्च, 2018/ 16 फाल्गुन, 1939 (शक)

ईपीएस-95 योजना के अंतर्गत कम पेंशन

1363. **श्री रिपुन बोरा:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी पेंशन योजना-95 के पेंशनभोगी प्रति माह 2500/- रुपए से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;
(ख) 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पेंशनभोगियों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) 31 दिसम्बर, 2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से कर्मचारी भविष्य निधि खाते में कुल कितनी निधि एकत्र हुई;
(घ) क्या सरकार ने ईपीएस खाता धारकों के वित्तीय कल्याण के लिए कोश्यारी सिफारिशों को स्वीकार तथा क्रियान्वित किया है; और
(ङ) यदि नहीं, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी पेंशन योजना,1995 के अंतर्गत पेंशन की गणना ईपीएस 1995 के उपबंधों के अनुसार की जाती है जो कि कमोबेश 2500/-रुपये प्रतिमाह हो सकती है और जो पेंशन योग्य वेतन तथा पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है।

इसके अतिरिक्त, दिनांक 19.08.2014 की अधिसूचना के माध्यम से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत 01.09.2014 से न्यूनतम पेंशन 1000/-रुपये निर्धारित की गई है।

(ख) 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुल पेंशन धारकों की संख्या 60,84,499 है।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान (गैर-छूट प्राप्त क्षेत्र) के रुप में अंकित मूल्य पर ऋण निवेशों में 5,66,031.95 करोड़ रुपये (अनंतिम अलेखापरीक्षित) की राशि है।

ईपीएफ (गैर-छूट प्राप्त क्षेत्र) की संचित निधि में 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार लागत मूल्य पर इक्विटी तथा संबंधित निवेशों में 25,034.85 करोड़ रुपये (अनंतिम अलेखापरीक्षित) राशि है।

(घ) और (ङ): जी नहीं। कर्मचारी भनिष्य निधि की व्यवहार्यता को बनाए रखने के लिए कोश्यारी समिति की सिफारिशों को नहीं माना गया है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1365

बुधवार, 7 मार्च, 2018/16 फाल्गुन, 1939 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना-95 योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाना

1365. डॉ. संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-95 योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500/- रुपये प्रति माह करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो पेंशनभोगियों को कब तक इसका लाभ वास्तव में प्राप्त होगा;

(ग) क्या सरकार प्रति माह न्यूनतम पेंशन को अंतिम रूप देने से पहले अंतरिम राहत देने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो सरकार के प्रस्ताव के ब्यौरे क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 एक स्व-वित्तपोषी योजना है जिसमें नियोक्ता द्वारा मजदूरी का 8.33 प्रतिशत की दर से अंशदान (पन्द्रह हजार रुपये तक) किया जाता है। इसके अतिरिक्त,15000/-रुपये प्रतिमाह की वेतन सीमा तक सरकार ईपीएस, 1995 से मजदूरी का 1.16 प्रतिशत अंशदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान ऐसे संचयन से किया जाता है। हालांकि , व्यापक मांग के दृष्टिगत बजटीय सहायता प्रदान करने के द्वारा 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत सरकार ने न्यूनतम पेंशन 1000/- रुपये प्रतिमाह तय कर दिया है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2161
बुधवार, 14 मार्च, 2018/23 फाल्गुन, 1939 (शक)

प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

2161. श्री विवेक गुप्ताः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2016 से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के अंतर्गत नियोक्ता भविष्य निधि अंशदान के लिए संवितरित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2016 से इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले राज्य-वार, विशेषतः पश्चिम बंगाल राज्य के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) वर्ष 2017-18 में 1000 करोड़ रुपये के बजटीय अनुमान की अपेक्षा इस योजना के अंतर्गत सरकार के अंशदान के केवल 50 प्रतिशत (500 करोड़ रुपये) होने के क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) में सभी नए कर्मचारियों को उनके रोजगार के पहले तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत होने पर 8.33% पेंशन योजना अंशदान का भुगतान किया जाता है। पीएमआरपीवाई के तहत 06.03.2018 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार व्यय की गई धनराशि के ब्यौरे अनुबंध-। पर दिए गए हैं।

(ख): पीएमआरपीवाई के तहत लाभान्वित कर्मचारियों की राज्य-वार संख्या 2016 से, अर्थात् 09.08.2016 से 06.03.2018 तक अनुबंध-।। पर दी गई है।

(ग): नई योजना होने के नाते, पिछले आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2017-18 (रु 1,000 करोड़) हेतु बजट अनुमान प्रक्षेपित नहीं किए जा सके। तथापि, वर्ष 2017-18 हेतु ईपीएफओ द्वारा संशोधित अनुमान को तैयार करते समय, पीएमआरपीवाई हेतु रु. 500 करोड़ प्रक्षेपित किए गए, जिसका आकलन पिछले माह की तुलना में योजना के विकास के आधार पर किया गया था।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 14.03.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2161 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई के तहत 9 अगस्त, 2016 से 6 मार्च, 2018 तक दी गई राज्य-वार धनराशि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी गई धनराशि (रुपए में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
आंध्र प्रदेश	305715917
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	3210590
बिहार	72027827
चंडीगढ़	32004717
छत्तीसगढ	29592526
दादरा और नगर हैली	0
दमन और दीव	0
दिल्ली	221095616
गोवा	5285268
गुजरात	431175297
हरियाणा	350959595
हिमाचल प्रदेश	29305158
जम्मू और काशीर	0
झारखंड	10311337
कर्नाटक	464947547
केरल	155273538
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	126586375
महाराष्ट्र	654331134
मणिपुर	0
मेघालय	0
मिजोरम	0
एन.ए.	0
नागालैंड	0
ओडिशा	40999094
पुडुचेरी	0
पंजाब	108039877
राजस्थान	105494817
सिक्किम	0
तमिल नाडू	455332039
तेलंगाना	0
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	353923696
उत्तराखंड	97450236
पश्चिम बंगाल	103232110
कुल	4156294311

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 14.03.2018 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2161 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमआरपीवाई के तहत अगस्त, 2016 से 6 मार्च, 2018 तक राज्य-वार लाभान्वित कर्मचारी	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभान्वित कर्मचारियों की संख्या
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	0
आंध्र प्रदेश	246675
अरुणाचल प्रदेश	0
असम	2145
बिहार	39505
चंडीगढ़	20569
छत्तीसगढ	21371
दादरा और नगर हैली	0
दमन और दीव	0
दिल्ली	142068
गोवा	2413
गुजरात	247428
हरियाणा	215847
हिमाचल प्रदेश	22364
जम्मू और काशीर	0
झारखंड	7405
कर्नाटक	252252
केरल	58264
लक्षद्वीप	0
मध्य प्रदेश	76182
महाराष्ट्र	489228
मणिपुर	0
मेघालय	0
मिजोरम	0
एन.ए.	0
नागालैंड	0
ओडिशा	35007
पुडुचेरी	0
पंजाब	55001
राजस्थान	97959
सिक्किम	0
तमिल नाडू	289636
तेलंगाना	0
त्रिपुरा	0
उत्तर प्रदेश	210758
उत्तराखंड	72823
पश्चिम बंगाल	86778
कुल	2691678

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2162
बुधवार, 14 मार्च, 2018/23 फाल्गुन, 1939 (शक)

पीएमआरपीवाई को बढ़ावा देना

2162. श्री देरेक ओब्राईनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कौशल विकास के माध्यम से प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) जैसी योजनाओं को बढ़ावा देने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इस योजना को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भविष्य में बेरोजगार युवकों को रोजगार के और अवसर प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) नए रोजगार के सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है, जिसमें भारत सरकार नियोक्ता के अंशदान के 8.33% शेयर का भुगतान कर रही है, जो नए कर्मचारियों के संबंध में पहले तीन वर्ष तक कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) में जाता है। यह योजना 15000 रु. प्रति माह तक कमाने वाले कर्मचारियों के लिए लक्षित है और इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक बनाना भी है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2165

बुधवार, 14 मार्च, 2018/23 फाल्गुन, 1939 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर

2165. डॉ. सत्यनारायण जटिया:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत पांच वर्षों के लिए प्रतिवर्ष कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की ब्याज दर क्या थी तथा वर्तमान में ब्याज दर के कम होने के लिए कौन-कौन से कारक और कारण जिम्मेदार हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 60(1) के उपबंधों के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्यों के खातों में उपलब्ध शेष राशि पर केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ के साथ परामर्श से यथानिर्धारित दर पर ब्याज जमा करना अपेक्षित होता है। गत पांच वित्तीय वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष ईपीएफ शेष राशि पर घोषित ब्याज दर का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	ब्याज दर (प्रतिशत में)
2012-13	8.50
2013-14	8.75
2014-15	8.75
2015-16	8.80
2016-17	8.65

ईपीएफ पर ब्याज दर का निर्धारण संबंधित वित्तीय वर्ष में ईपीएफ में कुल निवेश निधि पर अनुमानित आय के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक वर्ष ईपीएफ शेष राशियों पर ब्याज दर का निर्धारण करते समय, केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी कि सदस्यों के खातों में जमा किए गए ब्याज को नामे डालने के परिणामस्वरूप ब्याज खाते से अधिनिकासी न हो। सीबीटी, ईपीएफ ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ईपीएफ पर 8.55 प्रतिशत के ब्याज दर की सिफारिश की है, जो कि सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ)/लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जैसी अन्य तुलनीय योजनाओं से काफी अधिक है।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3772

बुधवार, 28 मार्च, 2018/ 7 चैत्र, 1940 (शक)

प्रवासी निर्माण-कामगारों हेतु लाभ

3772. श्री हरिवंश:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रवासी निर्माण कामगार न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम भुगतान तथा साप्ताहिक छुट्टी के अलावा आवासन तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं कि ये लाभ प्रवासी निर्माण कामगारों को दिए जाएं;

(ग) क्या विगत तीन वर्ष में इस संबंध में दोषी निर्माण कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है; और

(ङ) क्या निर्माण कामगारों के लिए विशिष्ट रूप से कोई निधि उपलब्ध है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) और (ख): प्रवासी सन्निर्माण कामगारों सहित सन्निर्माण कामगार अपनी पात्रता के आधार पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार(रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 सहित विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत लाभों के हकदार हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार(रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम में मकानों के निर्माण हेतु लाभार्थी के लिए ऋण और अग्रिम का प्रावधान है।

राज्य अधिनियम की धारा 22(1) के संबंध में प्रवासी सन्निर्माण कामगारों सहित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के कल्याण के लिए उपकर निधि के उपयोग के लिए अधिदेशित हैं तथा इसलिए राज्यों ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के जीवन एवं अपंगता छत्र, स्वास्थ्य एवं प्रसूति लाभों, अंत्येष्टि सहायता आदि से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं।

जारी----2/-

(ग) और (घ): मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय) का कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार(रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में आने वाले सन्निर्माण स्थापनों का नियमित निरीक्षण कराता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों और अपराध-सिद्धियों का ब्यौरा अनुबंध में उल्लिखित है।

(ङ): भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार(रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 में अनन्य रूप से भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण निधि के गठन का प्रावधान है। निधि का स्रोत नियोजक द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत व्यय की गई सन्निर्माण की लागत के 1% की दर के उपकर का संग्रहण है।

*

******

अनुबंध

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार अधिनियम: दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	अधिनियमन	किए गए निरीक्षणों की संख्या			अपराध-सिद्धियां(अभियोजनों के अंतर्गत)		
		2015-16	2016-17	2017-18 *	2015-16	2016-17	2017-18 *
1	अहमदाबाद	118	87	107	50	2	4
2	अजमेर	82	34	67	6	1	3
3	आसनसोल	19	18	20	0	0	0
4	बंगलुरू	98	58	52	15	10	1
5	भुवनेश्वर	60	50	58	4	0	5
6	चण्डीगढ़	231	246	84	11	6	8
7	चेन्नई	56	57	47	0	0	0
8	कोचीन	118	114	90	35	8	6
9	दिल्ली	29	81	80	2	46	0
10	धनबाद	480	25	54	2	13	2
11	देहरादून	81	55	70	0	0	0
12	गुवाहाटी	89	88	77	0	0	0
13	हैदराबाद	78	53	59	8	1	0
14	जबलपुर	108	94	73	17	4	2
15	कानपुर	58	25	61	17	5	0
16	कोलकाता	122	88	104	8	44	0
17	मुंबई	105	49	61	6	1	2
18	नागपुर	43	49	34	12	18	10
19	पटना	55	31	9	0	0	0
20	रायपुर	85	70	119	2	181	128
	कुल	**2115**	**1372**	**1326**	**195**	**340**	**171**

नोट: *(अप्रैल-फरवरी) अवधि के लिए

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3775

बुधवार, 28 मार्च, 2018/7 चैत्र, 1940 (शक)

श्रमिकों की पेंशन में वृद्धि किया जाना

3775. श्री मोतीलाल वोरा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ) के सेवानिवृत्त श्रमिक पेंशनर्स की संख्या लगभग 28,50,000 है;

(ख) क्या वर्तमान में ई.पी.एफ.ओ के सेवानिवृत्त श्रमिक पेंशनर्स को मात्र 1000/- रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है;

(ग) क्या 1000/- रुपये मासिक से किसी भी परिवार का गुजारा होना असंभव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ई.पी.एफ.ओ के सेवानिवृत्त श्रमिक पेंशनर्स की पेंशन उनके परिवार के गुजारा करने योग्य बढ़ाने पर विचार करेगी;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेंशनधारकों की कुल संख्या 56,49,797 थी, जिसमें सदस्य पेंशनधारक, पति/पत्नि पेंशनधारक, बाल पेंशनधारक, नामिती पेंशनधारक, अभिभावक पेंशनधारक तथा अनाथ पेंशनधारक शामिल हैं।

(ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पेंशन की गणना ईपीएस, 1995 के उपबंधों के अनुसार की जाती है जो 1000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक अथवा कम हो सकती है, जो सदस्य पेंशन धारक के पेंशन योग्य वेतन तथा पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है।

(ग): मंत्रालय के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (च): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 एक स्व-निधिबद्ध योजना है जिसमें नियोक्ता का अंशदान मजदूरी (पंद्रह हजार रुपये तक) के 8.33 प्रतिशत की दर से होता है । इसके अतिरिक्त, 15000/- रुपये प्रतिमाह की वेतन सीमा तक ईपीएस, 1995 में सरकार मजदूरी का 1.16 प्रतिशत अंशदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान ऐसे संचयनों से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, वृहत मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजटीय सहायता प्रदान करके 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1000/- रुपये नियत कर दी है। ईपीएस, 1995 पेंशनधारकों को मिल रहे न्यूनतम पेंशन 1000/- रुपये को बढ़ाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3778

बुधवार, 28 मार्च, 2018/7 चैत्र, 1940 (शक)

निजी भविष्य निधि न्यास

3778. श्री मोहम्मद अली खान:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कई निजी फर्मों को अपने अंशदानों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में जमा करने के बजाए भविष्य निधि (पीएफ) का प्रबंधन करने हेतु अपने खुद के न्यास की स्थापना करने की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी छूट दिए गए फर्मों की संख्या, वर्ष-वार, कितनी है; और

(ग) क्या इन फर्मों द्वारा इन निधियों के दुरुपयोग के सत्यापन हेतु इन न्यासों पर कोई नियंत्रण है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत समुचित सरकार, इस अधिनियम के अंतर्गत पहले से ही शामिल, प्रतिष्ठानों को अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अपने स्वयं के भविष्य निधि न्यास रखने की अनुमति देती है।

(ख): इस अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की कुल संख्या 1406 (27.03.2018 की स्थिति के अनुसार) है। छूट दिए गए प्रतिष्ठानों की वर्ष-वार सूची अनुबंध में है।

(ग): छूट प्राप्त प्रतिष्ठान तथा इनके न्यास कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के विनियामक पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा निधियों के किसी दुरुपयोग का पता लगाने हेतु ईपीएफओ इन न्यासों की जांच करने के लिए निरीक्षण करता है। निरीक्षण के एक महत्वपूर्ण पहलू में यह जांच करना होता है कि छूट प्राप्त न्यास सरकार द्वारा निर्धारित 'निवेश पद्धति' के अनुसार निधियों का निवेश कर रहा है या नहीं।

यदि कोई अनियमितता अथवा चूक पायी जाती है, तो प्रतिष्ठान के खिलाफ अधिनियम के अंतर्गत यथा उपबंधित समुचित कार्रवाइयां की जाती हैं। अधिनियम के अंतर्गत विद्यमान उपबंध एवं कार्रवाइयां निम्नानुसार हैं:-

i. अधिनियम की धारा 7क- नियोक्ता से बकाया धन का मूल्यांकन।
ii. अधिनियम की धारा 14ख- शास्ति उपबंध।
iii. अधिनियम की धारा 7थ- ब्याज लगाना।
iv. अधिनियम की धारा 8- वसूली उपबंध।
v. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 के पैरा 27कक के परिशिष्ट 'क' में शामिल उपबंध जैसे न्यास को हुए नुकसान की पूर्ति के लिए नियोक्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित करना तथा न्यासी बोर्ड द्वारा घोषित ब्याज में कमी इत्यादि।
vi. अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत प्रतिष्ठान तथा न्यास के खिलाफ अभियोजन दायर करना।
vii. छूट रद्द करना।

*****

अनुबंध

'निजी भविष्य निधि न्यास' के सबंध में श्री मोहम्मद अली खान, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 28.03.2018 को पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3778 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की वर्ष-वार सूची		
क्रम. सं.	**छूट का वर्ष**	**प्रतिष्ठानों की संख्या**
1	1952	50
2	1953	10
3	1954	5
4	1955	4
5	1956	37
6	1957	27
7	1958	15
8	1959	13
9	1960	12
10	1961	13
11	1962	52
12	1963	18
13	1964	38
14	1965	19
15	1966	26
16	1967	20
17	1968	11
18	1969	16
19	1970	21
20	1971	24
21	1972	17
22	1973	14
23	1974	16
24	1975	28
25	1976	19
26	1977	12
27	1978	17
28	1979	15
29	1980	13
30	1981	14
31	1982	32
32	1983	35
33	1984	21
34	1985	25
35	1986	18

36	1987	28
37	1988	22
38	1989	22
39	1990	30
40	1991	33
41	1992	31
42	1993	33
43	1994	29
44	1995	18
45	1996	26
46	1997	20
47	1998	7
48	1999	9
49	2000	19
50	2001	10
51	2002	5
52	2003	2
53	2004	5
54	2005	7
55	2006	13
56	2007	66
57	2008	50
58	2009	50
59	2010	20
60	2011	9
61	2012	11
62	2013	4
63	2014	6
64	2015	6
65	*एनए	88
कुल		**1406**

*** उपलब्ध नहीं**

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-4244
बुधवार, 04 अप्रैल, 2018/14 चैत्र, 1940 (शक)

रोजगार सृजन को बढ़ावा

4244. श्री धर्मपुरी श्रीनिवासः
श्री टी॰ जी॰ वेंकटेशः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार प्रधनमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन दे रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) इस योजना के तहत विशेष रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कितने उद्योगों और कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया गया, तत्संबंधी बयौरा क्या है;
(घ) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए कितनी-कितनी धनराशि निर्धारित और मुहैय्या कराई गई है; और
(ङ) सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है, जिसमें भारत सरकार नियोक्ताओं के अंशदान के 8.33% शेयर का भुगतान कर रही है, जो नए कर्मचारियों के लिए पहले तीन वर्षों हेतु कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) में जाती है। यह योजना 15,000/- रुपए प्रति माह कमाने वाले कर्मचारियों के लिए लक्षित है और इसका उद्देश्य बड़ी संख्या में अनौपचारिक कामगारों को औपचारिक बनाना भी है। इस योजना के अंतर्गत नए कामगारों की संगठित क्षेत्र के सामाजिक लाभ तक भी पहुंच होगी।

(ग): पीएमआरपीवाई के तहत, आज दिनांक अर्थात् 02.04.2018 तक आंध्र प्रदेश राज्य में 1102 और तेलंगाना में 2223 लाभार्थी हैं।

(घ): योजना के तहत निधि के राज्य-वार आवंटन हेतु कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, पीएमआरपीवाई के तहत, आज दिनांक अर्थात् 02.04.2018 तक आंध्र प्रदेश में 10.05 करोड़ रुपए और तेलंगाना में 27.57 करोड़ रुपए का कुल संवितरण हुआ है।

(ङ): मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) के कार्य-क्षेत्र में बढ़ोतरी करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। अब सरकार सभी क्षेत्रों के लिए समय-समय पर देय 12% नियोक्ता के पूर्ण अंशदान (8.33% ईपीएस एवं 3.67% ईपीएफ) का भुगतान करेगी।

*****

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *18

5 फरवरी, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र के प्रधान मंत्री परिधान रोजगार
प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी

*18. प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडाः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत पंजीकृत किए गए वस्त्र क्षेत्र के कर्मचारियों की माह-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उक्त योजना के आरंभ से अब तक इसके अंतर्गत माह-वार कितनी-कितनी धनराशि का संवितरण किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि इसके लाभार्थियों को उनके स्थायी खाता संख्या को 'आधार' से जोड़े जाने में हुई त्रुटियों के कारण उन्हें दावे की राशि नहीं मिल पायी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्री प्रोफेसर एम.वी.राजीव गौड़ा द्वारा वस्त्र क्षेत्र के प्रधान मंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों के संबंध में दिनांक 05.02.2018 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *18 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): प्रधानमंत्री परिधान रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमपीआरपीवाई) के अंतर्गत 09 अगस्त, 2016 को इसकी शुरूआत से लेकर अब तक पंजीकृत वस्त्र क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या दो लाख तिरेपन हजार चार सौ सत्तानवे (2,53,497) है। इसकी शुरूआत से योजना के अंतर्गत तेरह करोड़ ग्यारह लाख पांच हजार तीन सौ सतत्तर रुपए (13,11,05,377 रुपए) की निधि जारी की गई है। पंजीकृत कर्मचारियों तथा जारी की गई निधियों का माह-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता।

*****

अनुबंध

राज्य	पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत पंजीकृत कुल कर्मचारी	पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत संवितरित निधियां
अगस्त-16	0	0
सितम्बर-16	0	0
अक्तूबर-16	50	0
नवम्बर-16	429	2,01,737
दिसम्बर-16	130	29,193
जनवरी-17	1870	1,99,994
फरवरी-17	4949	2,39,417
मार्च-17	10101	11,17,653
अप्रैल-17	7999	13,75,298
मई-17	13862	19,60,011
जून-17	21829	47,17,277
जुलाई-17	24806	72,98,595
अगस्त-17	37429	1,03,69,126
सितम्बर-17	26523	1,56,26,678
अक्तूबर-17	21180	1,59,35,360
नवम्बर-17	22547	1,96,72,343
दिसम्बर-17	38387	2,49,02,391
जनवरी-18	21346	2,74,60,304
फरवरी-18	60	0
कुल	**2,53,497**	**13,11,05,377**

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 207

बुधवार, 14 मार्च, 2018/23 फाल्गुन, 1939 (शक)

छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों द्वारा आयकर विवरणी का दाखिल न किया जाना

***207. श्रीमती रेणुका चौधरी:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में छूट-प्राप्त गैर-सरकारी भविष्य निधि न्यास पिछले कई वर्षों से अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कामगारों के हितों की रक्षा के लिए सभी छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों द्वारा आयकर विवरणी दाखिल किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'छूट प्राप्त भविष्य निधि न्यासों द्वारा आयकर विवरणी का दाखिल न किया जाना' के संबंध में श्रीमती रेणुका चौधरी द्वारा दिनांक 14.03.2018 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 207 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण:

(क) से (ग): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) छूट प्राप्त प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ एवं एमपी) अधिनियम, 1952 की अपेक्षा के अनुसार सांविधिक विवरणियां दाखिल कर रहे हैं। छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों से हार्डकॉपी के साथ-साथ डेशबोर्ड पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न विवरणियां दाखिल करना अपेक्षित होता है। दिनांक 27.05.2017 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों द्वारा ऑनलाइन विवरणियां दाखिल करने हेतु एक नया सॉफ्टवेयर शुरु किया है। ऑनलाइन विवरणियां दाखिल नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के माह-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं:-

क्र.सं.	माह	प्रतिष्ठानों की संख्या
1.	जून, 2017	167
2.	जुलाई, 2017	168
3.	अगस्त, 2017	171
4.	सितंबर, 2017	185
5.	अक्तूबर, 2017	196
6.	नवंबर, 2017	217

ईपीएफओ द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी करने, छूट रद्द करने तथा नियोक्ता को अभियोजित करने जैसी अपेक्षित कार्रवाईयां की जाती हैं।

****

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *264

(जिसका उत्तर 20 मार्च, 2018/29 फाल्गुन, 1939 (शक) को दिया जाना है)

अंशदायी पेंशन प्रणाली का वापस लिया जाना

264. श्री टी॰जी॰ वेंकटेशः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अंशदायी पेंशन प्रणाली, जो कर्मचारियों के लिए अहितकर बन गई है, को वापस लिए जाने की देशभर में उठ रही मांग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोई अध्ययन किया है और इस संबंध में राज्य-सरकारों से विचार-विमर्श किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

"अंशदायी पेंशन प्रणाली का वापस लिया जाना" के संबंध में श्री टी. जी. वेंकटेश द्वारा पूछे गए 20 मार्च, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *264 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जी, हां।

(ख): सरकार ने बढ़ते तथा असंवहनीय पेंशन बिल पर विचार करने के पश्चात निर्धारित लाभ, उपयोगानुसार भुगतान करने की पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) नामक निर्धारित अंशदान पेंशन योजना में जाने का विवेकपूर्ण कदम उठाया है। इस परिवर्तन के कारण सरकार के सीमित संसाधन के अधिक उत्पादनकारी तथा सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए उपलब्ध होने का अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुआ है।

प्रथम चरण में एनपीएस को सशस्त्र बलों को छोड़कर, सेवा में आने वाले सभी नए कर्मचारी जो केन्द्र सरकार की सेवा में दिनांक 01.01.2004 को या उसके पश्चात आए हैं, के लिए लागू किया गया था। तत्पश्चात, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर अधिकांश राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस को अपनाया है। इसके अलावा, दिनांक 01.05.2009 से एनपीएस को असंगठित क्षेत्र सहित निजी क्षेत्र के लिए भी स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है।

(ग) और (घ): सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, एनपीएस लागू करने को युक्तियुक्त बनाने के उपायों का सुझाव देने हेतु भारत सरकार के सचिवों को शामिल करते हुए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने दिनांक 28.02.2018 की अपनी रिपोर्ट के द्वारा एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने के लिए कुछेक उपायों की सिफारिश की है।

*****

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 394

बुधवार, 04 अप्रैल, 2018/14 चैत्र, 1940 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि से इक्विटी बाज़ार में बढ़ता निवेश

***394. श्रीमती शशिकला पुष्पा:**

क्या **श्रम और रोज़गार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2015 से कर्मचारी भविष्य निधि से इक्विटी बाज़ार में निवेश करने के लिए धनराशि की मात्रा में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी वर्ष-वार अधिकतम सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इसकी अधिकतम सीमा वृद्धि के साथ अलग-अलग वर्ष में निवेश की गई राशि पर अलग-अलग दर से लाभ (आरओआर) अर्जित होने की आशा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

'कर्मचारी भविष्य निधि से इक्विटी बाज़ार में बढ़ता निवेश' के संबंध में श्रीमती शशिकला पुष्पा द्वारा दिनांक 04.04.2018 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 394 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सरकार द्वारा अधिसूचित 'निवेश पद्धति' के अनुसार एक्सचेंज ट्रेडिड फंड्स (इक्विटीज) में निवेश की जाने वाली राशि की मात्रा में 2015 से वृद्धि कर दी है। ईपीएफओ की कुल निवेश योग्य अतिरिक्त राशि का एक्सचेंज ट्रेडिड फंड्स में वर्ष-वार आबंटन का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**आबंटन (प्रतिशत में)**
2015-16	05
2016-17	10
2017-18	15

एक्सचेंज ट्रेडिड फंड (इक्विटी) एक बाजार संबद्ध इन्स्ट्रूमेंट है तथा ऐसे निवेश पर लाभ की दर (आरओआर) इक्विटी मार्केट के निष्पादन पर आधारित होती है।

****